न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/02/2018	09–01–2018	09–04–2018

01– सरकार जरिये नायब तहसीलदार (अतिरिक्त चार्ज प्रवर्तन निरीक्षक), बानसूर जिला अलवर

बनाम

01– श्री ओमी सिंह, उचित मुल्य दुकानदार बासदयाल, तहसील बानसूर जिला अलवर

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955सपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत 26.16 कि0 गैहू को राजसात करने बाबत

उपस्थितः–
01–विभागीय प्रतिनिधि
02–श्री श्योराम सिंह नरूका

–:निर्णयः–

नायब तहसीलदार (अतिरिक्त चार्ज प्रवर्तन निरीक्षक), बानसूर जिला अलवर ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार राशन सामग्री के अवेद्य परिवहन की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस थाना बानसूर पहुचाँ थानाधिकारी ने तहरीरि रिपोर्ट प्रस्तुत की मुताबिक रिपोर्ट एस0एच0ओ0 दिनांक 11.11.2017 को रात्रि करीब 10 बजे मुखबिर की सूचना पर सांकेतिक स्थान पर पहुँचे जहां पिकअप में भरे प्लास्टिक के कट्टे सहित पिकअप को थाना परिसर बानसूर में लगाया गया पिकअप की जांच करने पर कट्टो में भरे गैहू के संबंध में पूछताछ की गई तो ग्राम वासियों ने बताया कि दिनांक 11.11.2017 को श्री ओमी सिंह उचित मुल्य दुकानदार बासदयाल तहसील बानसूर दुकान से भरकर लाया है। श्री ओमी सिंह उचित मुल्य दुकान बासदयाल की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 54.25 कि0 गैहूं, 65 खाली कट्टे तथा प्लास्टिक के कुछ कट्टो बाजरा व ग्वार मिला पॉस मशीन मे स्टॉक शुन्य पाया गया। श्री ओमी सिंह को सहकारी समीति से जारी बिल की जांच करने पर 90.16 कि0 गैहूं का बिल जारी होना पाया गया जिसमें से 46.44 कि0 गैहूं माह नवम्बर 2017 का जारी होना पाया गया इस प्रकार ओमी सिंह की दुकान में 7.81 कि0 गैहूं स्टॉक में बिल से अधिक मिला थाना परिसर में खड़ी पिकअप संख्या आर0जे0–32 जी0बी0 1864 रंग सफेद ने जूट व प्लास्टिक के हाथ से सिले कुल 46 कट्टे पाये गये जिनमे 10 कट्टो में जौ व 36 कट्टों में गैहूं पाया गया जिसमें 18.35 कि0 गैहूं मय बारदाना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना पाया गया। इस प्रकार श्री ओमी सिंह उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बासदयाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

तहसील बानसूर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गैहूं का परिवहन कालाबाजारी के लिए किया जाना प्रतित होता है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 एवं प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 एवं 18 की स्पष्ट अवहेलना है जो दण्डनिय अपराध है।

उक्त आदेश का उल्लघन होने के कारण उचित मुल्य दुकान स्टॉक से अधिक 7.81 कि0 एवं पिकअप में मिले 18.35 कि0 गैहूं समस्त 26.16 कि0 गैहूं मय बारदाना जब्त सरकार कर राजसात करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मय वकील उपस्थित वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में 26.16 कि0 गैहूं मय बारदाना व 10 कट्टे जौं जब्त किया हुआ है। वह 6ए का गोश्वारा गलतफहमी से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। जो पिकअप गाड़ी जब्त की गई थी उस गाड़ी में प्रार्थी का 18 कि0 35 किलो गैहूं प्रार्थी के पिता के नाम कृषि भूमि में से पैदा किया हुआ गैहू था एवं 10 कट्टे जौं कृषि भूमि में पैदा किये हुए थे कोई भी कट्टा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नही था। प्रर्वतन निरिक्षक द्वारा प्रार्थी के विरूद्व गलत तरीके से एफ0आई0आर0 दर्ज कराई है जिसका मुकामी पुलिस ने अनुसंधान किया दौराने अनुसंधान मुकामी पुलिस ने उक्त गैहूं ओर जौ को प्रार्थी की कृषि भूमि में पैदा किया हुआ माना रूप्यों की आवश्यकता के लिए जिंस को बाजार मे बैचने के लिए भेजना माना व जप्तशुदा गैहूं को 3/7 ई0सी0 एक्ट का प्रकरण नही माना दिनांक 19.12.2017 को थानाधिकारी द्वार एफ0आर0 माननीय सी0जे0एम0 कोर्ट में पेश कर दी गई। प्रार्थी के पिता की तीन बीघा आराजी है ओर प्रार्थी अपने पिता की अकली सन्तान है। प्रार्थी के पिता 85 साल के वृद्व आदमी है। चलने–फिरने में असर्मथ है ओर प्रार्थी के साथ ही निवास करते है उक्त जौं थाना बानसूर में पड़े रहने से खराब हो जाएगा जिससे आर्थिक नुकसान होगा तथा गैहूं जो रामेश्वर दयाल उचित मुल्य दुकानदार खोहरी तहसील बानसूर की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नही है। प्रार्थी के मकान का मरम्मत कार्य चल रहा था ओर मौसम खराब था इस वजह से प्रार्थी अपने मकान में राशन का गोदाम बनाया हुआ था। गोदाम काफी बड़ा हॉल है उसमे मौसम खराब होने की वजह से अपनी कृषि भूमि में पैदा हुई फसल गैहूं, जौ, बाजरा, ग्वार व चना भी रख दिया गया था जो एक तरफ रखा हुआ था 7 कि0 81 किलो गैहूं प्रार्थी ने अपने खाने के लिए रखा हुआ था उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मानकर गलत रूप से जप्त किया गया है एवं प्रार्थी के कृषि भूमि में पैदा किया हुआ बचा हुआ गैहूं एवं जौं की फसल को पिकअप मे भरकर बाजार में बैचने के लिए भेजी थी उसको भी सार्वजनीक वितरण प्रणाली का मानकर गलत रूप से जप्त किया गया है। यदि दोराने प्रकरण उक्त गैहूं ओर जौं को बाजार मे बैच दिया है तो उस गैहूं व जौ की बाजार भाव से किमत दिलाई जावें एवं उस पर बनने वाला ब्याज भी दिलाया जावें। प्रार्थी के विरूद्व कि गई 6ए की कार्यवाही ड्राप फरमाई जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

विभागीय पैरोकर की बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वक्त निरीक्षण ओमी सिंह उचित मुल्य दुकानदार

बासदयाल तहसील बानसूर के स्टॉक से अधिक 7.81 कि0 एवं पिकअप में मिले 18.35 कि0 गैहूं मय बारदाना के संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब पेश नही किया गया अतः समस्त 26.16 कि0 गैहूं को राजसात किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया तथा थानाधिकारी बानसूर की एफ0आर0 का अवलोकन किया जिस बारदाना से गैहूं बरामद हुआ है उस पर कोई सरकारी चिन्ह अंकित नही था। ऐसी स्थिती में जब्तशुदा गैहूं ओमी सिंह डीलर उचित मुल्य दुकान का होना साबित नही होता है। पत्रावली में संलग्न गिरदावरी, जमाबंदी से साबित है कि उनके पास खेती की जमीन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केवल गैहूं का ही वितरण होता है जौं का वितरण नही होता है। जबकि पिकअप में 10 कट्टे जौं भी बरामद किया गया। इससे भी साबित होता है कि वह गैहूं ओमी सिंह की खेती का ही था।

अतः प्रार्थना पत्र 6ए अस्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में जब्तशुदा गैहूं 7.81 कि0 व 18.35 कि0 मय बारदाना को अप्रार्थी ओमी सिंह डीलर उचित मुल्य दुकान को लोटाया जावें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09–04–2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर